1,+8

संख्या– 110 / III(3)/2017–01(सी.आर.एफ.)/2012

प्रेषक,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु आयोजनागत पक्ष में केन्द्रीय सड़क निधि योजना मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक /प्रस्ताव सं0 4529/15 बजट (के0स0नि0)/2016–17 दिनांक 11.01.2017 तथा तद्विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश सं0 747/III(3)/2016–01 (सी0आर0एफ0)/2012 दिनांक 24.12.2016, सं0 464/III(3)/2016–01 (सी0आर0एफ0)/2012 दिनांक 10.8.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, एवं शासनादेश संख्या 432/III(3)/2016–01 (सी0आर0एफ0)/2012 दिनांक 30.07.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्यय में अनुदान संख्या–22 की आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) में हो रही सम्भावित बचत तथा केन्द्रीय सड़क निधि योजना मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 55.00 करोड़ (रुपये पचपन करोड़ मात्र) की धनराशि व्यावर्तित करते हुए व्यय हेतु, आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i)– इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संलग्न पुनर्विनियोग प्रस्तावनुसार स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में गतिमान 12 नये कार्यों हेतु की गयी मांग के अनुसार किया जाय।

(ii)– उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0–4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–12 के प्रस्तर–101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर–115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iii)– आयोजनागतपक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सकें। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

(iv)– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–1 के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।
(v)– इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र 284/xxvii(1)/2013 दिनांक 30–03–2013 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(vi)– उत्तराखण्ड में लागू वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन ही समस्त प्रक्रियाये पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
(vii)– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।
(viii)– साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर–10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
(ix)– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(x)– वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/xxvii (1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से साफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार आयोजनागत् पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में कुल धनराशि रु0 55.00 करोड़(रुपये पचपन करोड़ मात्र) का बजट आबंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0: S 1702220145 दिनांक 23.02.2017 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।
(xi)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 के अन्तर्गत संलगनक में उल्लिखित सुसंगत लेखा शीर्षकों एवं प्राथमिक इकाईयों में नामें डाला जायेगा।
(xii)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या: 1176/ xxvii (2)/2011 दिनांक 22 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या: 110 (1)/III(3)/2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 110/III(3)/2017-01(CRF)2012 DATED 23-2-2017

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1702220145

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

आवंटन पत्र दिनांक 23-Feb-2017

1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़के

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

05 - केन्द्रीय सडक निधि से किया गया कार्य (100 %के0स0)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	500000000	550000000	1050000000
	500000000	**550000000**	**1050000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 550000000

[signature]

लोक निर्माण अनुभाग-
उत्तराखण्ड शासन।

बी0एम0–9(भाग–1)

पुनर्विनियोग 2016–17

पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन

अनुदान संख्या:–22 लोक निर्माण विभाग
5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
05– सड़कें
800– अन्य व्यय
02– विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़के/सेतु का निर्माण
00–24–वृहत्त निर्माण कार्य

अनुदान संख्या:–22 (पूँजीगत)
5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
04– जिला तथा अन्य सड़कें
800– अन्य व्यय
01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
05– केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100 केन्द्र पोषित)
24– वृहत्त निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2016–17

(धनराशि हजार रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (आयोजनागत)	आवेदन तिथि पर उपलब्ध अनुदान	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनु0/विनि0 (2–5)	लेखे का शीर्षक (आयोजनागत)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5054–05–800–02–00–24	1450000.00	950000.00	550000.00			5054–05–800–02–00–24	1450000.00	550000.00	550000.00		
						योग :–	1450000.00	550000.00	550000.00		
						5054–04–800–01–05–24	500000.00	1050000.00	550000.00		
	1450000.00	950000.00	550000.00			योग :–	500000.00	1050000.00	550000.00		

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग से उल्लंघन नहीं किया गया है।

यू0ओ0 संख्या–747/XXVII(2)/2016 देहरादून दिनांक 22 फरवरी, 2017

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव,
लोक निर्माण विभाग

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव,
वित्त विभाग